तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./6548/2001/जोधपुर देदा राम बनाम रामूराम (रामफूल)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांक 13.02.2019

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर, द्वितीय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26-04-2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि मृतक अप्रार्थी संख्या-1 रामूराम ने तहसीलदार, ओसिया के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183-बी के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम धुनाडिया की शरहद स्थित आराजी खसरा नम्बर 151/1 रकबा 10बीघा 05बिस्वा भूमि दिनांक 18-12-1975 को उसे आवंटित हुई, उसके उपरान्त उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त होकर राजस्व अभिलेख में वह खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी पर देदाराम द्वारा नाजायज कब्जा कर लिया है, जिसे बेदखल कर कब्जा दिलवाया जावे। तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया तत्पश्चात् निर्णय दिनांक 14-02-1992 से प्रार्थनापत्र स्वीकार कर बेदखली का आदेश पारित किया। इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थी ने अपर जिला कलक्टर, द्वितीय, जोधपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 26-04-2000 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./6548/2001/जोधपुर देदा राम बनाम रामूराम (रामफूल)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य एवं प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि खसरा नम्बर 151 बडा रकबा है जिसके भू–भाग रकबा 151/1 पर सम्वत् 2012 के पहले से उनका पक्षकार काबिज काश्त है तथा अप्रार्थी का इस भू–भाग खसरा नम्बर 151/1 पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। मगर अप्रार्थीगण को खसरा नम्बर 151 में से रकबा 10बीघा 05बिस्वा भूमि कृषि उपयोग हेतु आवंटित की गयी थी जिसका कब्जा काश्त अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 151 के किसी भू–भाग पर कभी नहीं किया तथा जानबुझकर पटवारी से सांठगांठ कर खसरा नम्बर 151/1 के क्षेत्र में अपने आवंटन की झूठी तामील करवा दी तथा यह पूर्व समय से चला आ रहा आबाद भूभाग अप्रार्थीगण हडपना चाहते है। उनका कथन है कि तहसीलदार ने उनके पक्षकार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना बेदखली का आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को निरस्त किया जावे। हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के पूर्वज रामूराम ने तहसीलदार, ओसिया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./6548/2001/जोधपुर देदा राम बनाम रामूराम (रामफूल)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183-बी के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम धुनाडिया की शरहद स्थित आराजी खसरा नम्बर 151/1 रकबा 10बीघा 05बिस्वा भूमि दिनांक 18-12-1975 को उसे आवंटित हुई, उसके उपरान्त उक्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्राप्त होकर राजस्व अभिलेख में वह खातेदार दर्ज है। प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जिसकी भूमि पर देदाराम स्वर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा नाजायज कब्जा कर लिया है, जिसे बेदखल कर कब्जा दिलवाया जावे। प्रस्तुत प्रकरण में निहित विवादित आराजी अप्रार्थीगण के पूर्वज रामूराम को दिनांक 18-12-1975 को आवंटित हुई। आवंटन उपरान्त नामान्तरकरण संख्या-95 से विवादित आराजी आवंटी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज की गयी तथा आवंटित भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त सम्वत् 2044 तक आवंटी का दर्ज है। तत्पश्चात् दिनांक 22-07-1992 को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार आवंटी रामूराम को प्रदान किये गये। उक्त से स्पष्ट है कि विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण के पूर्वज रामूराम के नाम दर्ज है, जो अनुसूचित जाति का सदस्य है, जिसकी भूमि पर प्रार्थी देदाराम पुत्र रूपाराम स्वर्ण जाति के व्यक्ति द्वारा नाजायज अतिक्रमण किया गया। तहसीलदार ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति के भूमि पर प्रार्थी को नाजायज तौर पर काबिज काश्त होना मानते हुए बेदखली के आदेश पारित किये, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183-बी के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि पर अन्य कोई व्यक्ति विधि विरूद्ध तरीके से अनाधिकृत कब्जा करता है तो संक्षित कार्यवाही द्वारा बेदखल किये जाने एवं जुर्माना अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./6548/2001/जोधपुर देदा राम बनाम रामूराम (रामफूल)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में निगरानी के माध्यम से कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	